

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1013/2011/अजमेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
विशेष वृत्त-अजमेर  
बनाम  
मैसर्स एंकेश संगमरमर प्रा.लि.,  
मदनगंज किशनगढ़

.....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी

अपील संख्या-428/2011/अजमेर

मैसर्स एंकेश संगमरमर प्रा.लि.,  
मदनगंज किशनगढ़  
बनाम  
वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
विशेष वृत्त-अजमेर

.....अपीलार्थी

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई  
उप-राजकीय अभिभाषक  
लिखित बहस प्रस्तुत

.....अपीलार्थी की ओर से  
.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 05.02.2018

निर्णय

1. अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 151/09-10/वेट/किशनगढ़ में पारित आदेश दिनांक 19.01.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-अजमेर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2006-07 हेतु पारित आदेश दिनांक 19.08.2009 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 9(b)&10 of RIPS 2003 R/W Sec 33 of VAT Act. के तहत कायम की गई मांग राशि रुपये 2,43,409/- को विवादित करने पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये ब्याज राशि रुपये 60,395/- को अपास्त किया गया जिससे व्यथित होकर विभाग द्वारा ब्याज के बिन्दु पर अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी को राजस्थान विनियोजन प्रमोशन स्कीम, 2003 के तहत ब्याज एवं मजदूरी/अनुदान हेतु राज्य स्तरीय छानबीन समिति जयपुर द्वारा Expansions cum Modernization हेतु पात्रता प्रमाण पत्र संख्या 1/257 दिनांक 12.12.2005 जारी किया गया जिसके अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है। इकाई के आवेदन पर दिनांक 01.04.2006 से 31.03.2007 की अवधि के लिए ब्याज एवं मजदूरी/रोजगार अनुदान वर्ष 02-03, 03-04, में अधिक जमा करवाये कर का 50 प्रतिशत अधिकतम एवं ब्याज अनुदान 5 प्रतिशत दोनों

लगातार.....2

में से जो कम हो आदेश संख्या 458 दिनांक 29.05.2007 के जरिये ब्याज अनुदान रूपये 1,83,014/- कुल अनुदान रूपये 1,83,014/- स्वीकृत किया गया। वित्त विभाग के स्पष्टीकरण दिनांक 10.10.2008 के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी को अनुदान त्रैमासिक आधार पर स्वीकृत किया गया है। उक्त स्पष्टीकरण से यह भी स्पष्ट हो गया कि आधार निर्धारण के समय वर्ष 02-03, 03-04, 04-05 में अधिकतम सकल देय कर (प्रोत्साहन लाभ को जोड़ते हुए) के आधार पर बेस टैक्स का निर्धारण किया जावे। उक्त स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में आदेश के पुनः अवलोकन पर पाया गया था कि वर्ष 02-03, 03-04, 04-05 में अपीलार्थी व्यवहारी की कुल करदेयता क्रमशः रूपये 10,96,582/-, 13,42,574/-, 19,11,436/- होती है। अपीलार्थी व्यवहारी को रूपये 19,11,436/- के स्थान पर रूपये 4,77,888/- करदेयता को आधार मानकर चालू वर्ष 06-07 के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया। इस प्रकार आधार कर का निर्धारण कम राशि पर हुआ जो कि रिकार्ड की भूल है अतः रिकार्ड की इस भूल को सुधारते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ब्याज एवं मजदूरी/रोजगार अनुदान रूपये 1,83,014/- अधिक प्राप्त किया गया जो पुनः वसूल योग्य माना तथा इस राशि पर RIPS योजना के क्लॉज 10 के तहत अधिक स्वीकृत अनुदान पर 18 प्रति वर्ष से 22 माह का ब्याज रूपये 60,395/- कायम की गई है जिसे अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया। अतः अपील स्वीकार की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी के प्रकरण में Clause 9(B) VIII & 10 of RIPS, 2003 read with Section 37 of RST Act, 1994/Section 33 of the VAT Act, 2003 लागू नहीं होते हैं, कर निर्धारण अधिकारी ने संशोधित क्लॉज 9(बी)(VIII) को लागू किया। संशोधन क्लॉज न तो वेबसाइट पर उपलब्ध है और ना ही गजट में प्रकाशित हुआ है। उपरोक्तानुसार क्लॉज 10 में उल्लेखित शर्तों एवं अनुबंधों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 18 प्रतिशत वर्ष की दर से ब्याज लगाया जा सकता है, जबकि अपीलार्थी व्यवहारी ने क्लॉज 10 में उल्लेखित शर्तों एवं अनुबंधों का कहीं भी उल्लंघन नहीं किया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :-

7. विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी पर आरोपित ब्याज एवं मजदूरी/रोजगार अनुदान के बिन्दु पर दिये गये तर्क मान्य नहीं है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 19.08.2009 में आरोपित ब्याज एवं मजदूरी/रोजगार अनुदान रूपये 1,83,014/- जो अधिक प्राप्त किये जाने से पुनः वसूल योग्य है, पूर्णतः

लगातार.....3

विधिसम्मत है एवं आदेश में इस बिन्दु पर हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है तथा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी RIPS योजना के क्लॉज 10 के तहत @ 18% से प्रति वर्ष से रुपये 60,395/- का ब्याज आरोपित किया है। RIPS योजना का क्लॉज 10 इस प्रकार है :-

**Clause 10 Terms & Conditions:**

The interest Subsidy and/or Wage/Employment Subsidy sanctioned and paid under the Scheme and the exemption of Luxury Tax, Electricity Duty, Mandi Tax, Entertainment Tax, Stamp Duty Conversion Charges and other benefits availed under the scheme shall be subject to the following conditions. Breach of any of these conditions shall make the subsidy/exemption amount liable to be recovered as tax or arrears of land revenue/along with interest@18% per annum from the date from which the subsidy was provided.

(a) The unit availing Interest and/or Wage/Employment Subsidy and availing exemption of Luxury Tax, Electricity Duty Mandi Tax, Entertainment Tax, Stamp Duty, Conversion Charges and other benefits under the scheme shall comply with all statutory laws and regulations. Non-compliance may result in cancellation/withdrawal of the benefits under the scheme.

उपरोक्तानुसार RIPS योजना के क्लॉज में उल्लेखित शर्तों एवं अनुबन्धों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में 18 प्रतिशत वर्ष की दर से ब्याज लगाया जा सकता है।

8. व्यवसायी को अधिक स्वीकृत अनुदान राशि का उपभोग उसने स्वयं के व्यापारिक कार्यों हेतु किया है। क्लॉज 10 में उल्लेखित शर्तों एवं अनुबन्ध का उल्लंघन करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का प्रावधान किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 10 RIPS योजना 2003 के तहत प्रदत्त स्वीकृत लाभ से अधिक लाभ का उपभोग नहीं किया जा सकता है। चूंकि व्यवसायी ने अधिक स्वीकृत अनुदान का उपभोग व्यवसाय हेतु किया है। अतः माननीय सर्वोत्तम न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर Unjust Enrichment को गलत ठहराया है। सहकारी खण्ड उद्योग मण्डल लि., बनाम कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साइस की निर्णय दिनांक 09.03.2005 का अभिगमन किया गया जिसका सारांश निम्न प्रकार है :-

'Unjust enrichment' means retention of a benefit by a person that is unjust or inequitable. 'Unjust enrichment' occurs when a person retains money or benefits which in justice, equity and good conscience, belong to someone else.

The doctrine of 'unjust enrichment', therefore, is that no person can be allowed to enrich inequitably at the expense of another. A right of recovery under the doctrine of 'unjust enrichment' arises where retention of a benefit is considered contrary to justice or against equity.

जिस प्रकार व्यवसायी को अनुदान राशि देरी से जारी करने पर 5 प्रतिशत ब्याज देने का प्रावधान है। इसी प्रकार स्वीकृत लाभ से अधिक राशि का उपभोग करने से व्यवसायी का ब्याज का दायित्व बनता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित ब्याज विधिक होने से यथावत रखा जाता है एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाता है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया ब्याज आरोपण विधिक है अतः अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किया जाता है।

फलतः राजस्व की अपील ब्याज के बिन्दु पर स्वीकार की जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)  
सदस्य